



### **-:अल्पकालीन सूचना:-**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत गया जिला में संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, माड़नपुर, गया में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन लिया जाना है, छात्रावास आवासन क्षमता की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	छात्रावास का नाम	आवासन क्षमता	नामांकित छात्र	रिक्त बल	अभ्युक्ति
1	जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, माड़नपुर, गया	100	58	42	

नामांकन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन लिया जायेगा, जिसका URL- <https://bcebconline.bihar.gov.in> है। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से अगले 21 दिनों तक उपरोक्त Website के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करेंगे। ऑफलाईन माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विशेष जानकारी के लिए छात्रावास परामर्शी से छात्र या अभिभावक प्रत्येक कार्य दिवस को 2 बजे अपराह्न के बाद सम्पर्क कर सकते हैं।

#### **नामांकन की शर्त:-**

#### **जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास**

1. आवेदक पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का छात्र हो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र का आवेदन नहीं प्राप्त होने पर पिछड़ा वर्ग के छात्रों का चयन होगा।
2. आवेदक बिहार राज्य का निवासी हो।
3. आवेदक गया जिला में स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।
4. आवेदक मैट्रिक पास होना चाहिए।
5. अहर्ता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. इंटरमीडिएट के छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

#### **छात्रों की मिलनेवाली सुविधाएँ**

1. छात्रों के लिए निशुल्क: आवास की सुविधा।
2. सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं रसोइया।
3. पंखा, बल्ब, साइलेंट जनरेटर की सुविधा, 24 x7 बिजली की सुविधा, C.C.T.V. एवं Wi-Fi
4. शुद्ध पेयजल की सुविधा।
5. खेलकूद के सामग्री।
6. डिजिटल लाइब्रेरी।
7. प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न (09 कि०ग्रा० चावल एवं 06 कि०ग्रा० गेहूँ)।
8. प्रति छात्र प्रति माह 2000 (दो हजार) रुपये का छात्रावास अनुदान का लाभ।

#### **आवेदन की प्रक्रिया:-**

1. आवेदन URL- <https://bcebconline.bihar.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन होना चाहिए।
2. ऑनलाईन आवेदन के दौरान निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की स्व०-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. आवेदक की जन्मतिथि सहित मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य।
4. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य।
5. आधार कार्ड की प्रति अपलोड करना अनिवार्य।
6. जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र की RTPS से सत्यापित करना अनिवार्य।
7. बचत बैंक खाता आवेदक का नाम से होना अनिवार्य।
8. अभ्यर्थी, अभिभावक, आगतुक का पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करना अनिवार्य।
9. आवेदक द्वारा नामांकित संस्थान का अनुशंसा पत्र अपलोड करना अनिवार्य।
10. आवेदन पश्चात् नामांकन हेतु सभी प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा नामांकन रद्द कर दी जायेगी।

जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति  
पिछड़ा वर्ग, कल्याण पदाधिकारी, गया

उप विकास आयुक्त  
गया

PR- 005339 ( District ) 2026-27

उक्त सूचना [state.bihar.gov.in/prdbihar](http://state.bihar.gov.in/prdbihar) पर भी देखी जा सकती है।

**नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।**



बिहार सरकार

बिहार सरकार

# जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय गया

कौशल से  
रोजगार की ओर

छात्रों का भविष्य  
हमारी प्राथमिकता

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत गया जिला में संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में शैक्षणिक सत्र-2026-27 में नामांकन लिया जाना है।  
उक्त छात्रावास में कुल 42 रिक्तियों के विरुद्ध नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11.06.2026 से 02.07.2026 तक किया जा सकता है।  
विस्तृत जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय गया से छात्र/अभिभावक प्रत्येक कार्य दिवस को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 अपराह्न तक संपर्क कर सकते हैं। नामांकन की शर्त-



## आवेदन के लिए पात्रता

- 1 आवेदन अर्तत पिछड़ा वर्ग क छात्र हो। अर्तत पिछड़ा वर्ग क छात्र का आवेदन नहीं प्राप्त होने पर पिछड़ा वर्ग क छात्रों का चयन होगा।
- 2 आवेदन बिहार राज्य का निवासी हो।
- 3 आवेदन गया जिला में स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।
- 4 आवेदन मैट्रिक पास होना चाहिए।
- 5 अर्हता प्राप्त आवेदकों में उच्च माध्यमिक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 6 इंटरमीडिएट के छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।



## छात्रों की मिलने वाली सुविधाएं

- 1 छात्राओं के लिए नि: शुल्क आवास की सुविधा।
- 2 सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं रसोईया।
- 3 पंखा, बल्ब, टयुब/लाईवो जनरेटर की सुविधा, बिजली की सुविधा, सी.सी.टी.वी. एवं WI-FI
- 4 शुद्ध पेय जल की सुविधा।
- 5 खेलकूद के सामग्री।
- 6 डिजिटल लाईब्रेरी।
- 7 प्रति माह 15 किलो ग्राम खाद्यान्न (09 किलो ग्राम चावल एवं 06 किलो ग्राम गेहूँ)।
- 8 प्रति छात्र प्रति माह 2000 (दो हजार) रुपये का छात्रावास अनुदान का लाभ।



## आवेदन की प्रक्रिया

- 1 आवेदन ऑनलाईन माध्यम से किया जाना है।
- 2 आवेदन <https://bcelonline.bihar.gov.in/cay/> पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- 3 आवेदन का पासपोर्ट साइज फोटो-02 प्रति में।
- 4 आवेदन का जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- 5 गया जिला में स्थित शिक्षण संस्थान में नामांकन से संबंधित प्रमाण-पत्र
- 6 संस्थान के प्रधान से सिफारिश पत्र।
- 7 आधार कार्ड की स्वप्रमाणित की छायाप्रति।
- 8 दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की छायाप्रति।
- 9 बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सहित)।



आवेदन की अंतिम तिथि  
**02.07.2026**



कार्यालय में संपर्क का समय  
प्रत्येक कार्य दिवस  
11:00 पूर्वाह्न से 04:00 अपराह्न



कार्यालय का पता  
जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय,  
गया, बिहार



संपर्क सूत्र- 8544510583